

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-579/दो-4-13-32(1)/2011
लखनऊ : दिनांक: 29 मई, 2013

विज्ञप्ति / नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2012 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता/पति का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	पत्र व्यवहार का पता
1.	001987	अंकुर गर्ग सुधीर कुमार	घासमण्डी, चन्दौसी, जनपद-सम्मल-202412
2.	011317	राहुल सिंह कनिष्क कुमार सिंह	320, भोपा रोड (दक्षिणी), डा० सॉवालिया क्लिनिक की गली, मुजफ्फरनगर-251001
3.	017080	सपना त्रिपाठी प्रेम नारायण त्रिपाठी	एम०आई०जी०-57, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ-226024
4.	039455	पूजा गुप्ता, कृष्ण शंकर गुप्ता	द्वारा-श्री अवनीश गुप्ता, सराफा बाजार, सब्जीमंडी गली, विधूना, औरैया-206243
5.	034593	मिनाक्षी सिन्हा, माताबदल श्रीवास्तव	341/15ए/6, शास्त्रीनगर, सदियापुर, इलाहाबाद-211003
6.	007751	हिमांशु मिश्रा सन्तोष कुमार मिश्रा	द्वारा- श्री डी०के० तिवारी, 538 क/768, निकट अल-हुदा कालेज, त्रिवेणीनगर-1, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020
7.	009388	आशुतोष त्रिपाठी, लालचन्द त्रिपाठी	138-बी, नया बैराहना, इलाहाबाद
8.	003506	अमर प्रताप चौधरी, माधव प्रसाद	एस-236, शक्ति नगर, फैंजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
9.	031978	रवि कुमार सागर ओम प्रकाश	पुत्र श्री ओमप्रकाश, मौह०-दानिशनन्दान, अमरोहा (जे.पी.नगर)-244221
10.	032160	सौरभ कुमार वर्मा स्व० नरेन्द्र कुमार वर्मा	टी-20-टाइप-II, आफिसर्स कालोनी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद-209601
11.	034333	मिलिन्द कुमार सिंह ईश्वर प्रसाद	मकान संख्या-1/635, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ-226021
12.	030043	विमांशु सुधीर छोटेलाल	द्वारा- श्री जयप्रकाश (एडवोकेट), ग्राम-तुलापुर, बहादुरान, पोस्ट-पट्टी बेजॉव, (सुरियावा), संत रविदास नगर (भदोही)-221404
13.	036911	ज्योत्सना यादव राकेश यादव	42-बी, मेडिकल कॉर्सिंग, इलाहाबाद-211001
14.	011284	विनीता सिंह कमल सिंह	21/450, इन्दिरानगर, लखनऊ -226016
15.	019367	अर्चना सिंह, अमर सिंह	हिमगिरी कालोनी, बी-124, हरथला सोनकपुर, कांठ रोड, मुरादाबाद-244001
16.	035672	लकी भूधर लाल	म० नं०-16, ब्रज विहार कालोनी, निकट-विवेकानन्द प० हाईस्कूल, अन्टा चौराहा, शाहजहांपुर-242001
17.	013654	मुकेश कुमार ओम प्रकाश	3/660 ए, जनक नगर, बादशाही मस्जिद वाली गली, खानआलमपुरा, सहारनपुर-247001

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

राजीव कुमार
प्रमुख राचिव

...2

संख्या-579(1)/दो-4-13-32(1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-380/1/ई-2/12-13(टी.सी.), दिनांक 10 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में।
- (4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उ0प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
- ✓(8) सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
अभ्यर्थीगण जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे।
अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव